

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

श्री शिंह मंगल सिंह चूमा

विभिन्न कार्य सूची

युरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2002 (अम्बायण 7, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

निधन तिलैर

1. प्रस्तोत्तर

श्री शिंह मंगल सिंह 'युम'

श्री शिंह तिलैर (कर्म निधन तिलैर)

पृथकतः वितरित सूची में सम्प्रिलिपि प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-4-2008-विक-पौब्र (74), दिनांक 16 जुलाई, 2002 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रघुवीर सिंह, राज्यमंत्री अम, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-28-सात-शा-8-97-पार्ट-3, दिनांक 8 नवम्बर, 2002 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक अशासकीय विद्यालयों को माध्यमिक-शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री मुश्तिलाल, लाल सिंह, मुझा सिंह, सदस्य, व्यालियर एवं चंबल संभाग में कृषकों को पतेवा हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, रीवा जिले के मनगढ़ी एवं दतिया में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के भवन का निर्माण न होने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्रीमती सविता श्रीवाल, सदस्य, होशगांव जिले के सोहागपुर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएँ घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ग्यारसीलाल रावत, सभापति, शासकीय आशासनों संबंधी समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

निधीरित
समय

5. नियम 138 के अधीन उद्योगस्वामीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्गम्भण।

(2) प्रदेश में अल्प वर्षा तथा सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कमल पटेल, नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, नरेन्द्र सिंह तोमर, हरीशकर जायसवाल (हरि भैया), लक्ष्मीकांत शर्मा, धूल सिंह यादव "वकील", सोनेराम कुशवाह, भूपेन्द्र सिंह, लालसिंह, राव देशराज सिंह यादव, एडब्ल्यूकेट विद्यावती पटेल, सुश्री कुसुम सिंह, सर्वश्री बाबूलाल मेवा, मुज्जा सिंह, डॉ. आई.एम.पी वर्मा तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे।

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पालन प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक पर चर्चा।

भोपाल :
दिनांक : 27 नवम्बर, 2002

डॉ. प. के. पद्माली
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा